भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1386

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

राजद्रोह के मामले

†1386. श्री सी. गोपालकृष्णनः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में राजद्रोह से संबंधित मामलों की समीक्षा करने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ए.पी. शाह की अध्यक्षता में ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए गठित समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) यदि नहीं, तो समिति की अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) से (ड.): भारत के विधि आयोग ने सूचित किया है कि न्यायमूर्ति ए.पी. शाह की अध्यक्षता वाले 20वें विधि आयोग ने आयोग के कार्यकाल (दिनांक 01.09.2012 से 31.08.2015) के दौरान "देशद्रोह के मामले" विषय पर सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी है और इस प्रकार, वर्तमान में इस मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। तथापि, विधि आयोग को आपराधिक कानूनों के सभी विषयों को शामिल करते हुए जांच करने और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है ताकि विभिन्न आपराधिक कानूनों में विस्तृत संशोधन किए जा सकें।